23.03.2018

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

प्रार्थनापत्र 14अ अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 द्वारा वादी विनीत कुमार पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

संक्षेप में प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि, प्रार्थी उपरोक्त केस का वादी एवं चश्मदीद साक्षी है उसने अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा पुत्र सूबेदार, निवासी गाजीपुर पहोर के विरूद्ध भी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करायी थी जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा की भी अपराध में मुख्य भूमिका थी, उसके द्वारा ही यह कहा गया कि, ''सालों को जिन्दा मत छोड़ना, सालों को गोली मारकर कबूतर सा उड़ा दे।'' जिस पर उसके पुत्र पंकज शर्मा ने प्रार्थी के भाई शिवम उर्फ लालू को गोली मार दी। विवेचक द्वारा लिये गये बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में भी सुरेन्द्र शर्मा की मुख्य भूमिका है। प्रार्थी का बयान बतौर पी0डब्लू0–1 न्यायालय में हो चुका है। विवेचक ने सुरेन्द्र शर्मा से मिलकर उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया है, जबकि उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। सुरेन्द्र शर्मा का भी विचारण सह अभियुक्त पंकज शर्मा के साथ किया जाना आवश्यक है। अतः धारा 319 दं0प्र0सं0 के तहत सुरेन्द्र शर्मा को विचारण हेतु तलब किया जाये।

धारा 319 दं0प्र0सं0 प्राविधानित करती है कि, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि, किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिये जिसको उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

इसप्रकार धारा 319 दं0प्र0सं0 का उद्देश्य अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये न्यायालय को सशक्त करना है। परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि, न्यायालय उसी स्थिति में अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेगा जहां साक्ष्य द्वारा युक्ति युक्त रूप से यह इंगित हो कि, ऐसे अन्य व्यक्ति को भविष्य में दोषसिद्ध किया जा सकता है, वहां न्यायालय उसके विरूद्ध धारा 319 दं0प्र0सं0 के अधीन कार्यवाही कर सकता है। इस निमित्त अपराध में उनके द्वारा संलिप्त होने का संदेह मात्र पर्याप्त नहीं है। साथ ही इस आधार का प्रवर्तन केवल संज्ञानोत्तर प्रकृम तक ही सीमित है। धारा 319 दं0प्र0सं0 में जिस साक्ष्य की परिकल्पना की गयी है, उसमें उस सामग्री की जांच अथवा विचारण के समय को साक्ष्य नहीं माना जा सकता जिसे कि सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अधीन साक्ष्य वह होता है जिसे कि विचारण के समय प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत मामले में वादी विनीत कुमार द्वारा दिनांक 16.07.2016 को थानाध्यक्ष कोतवाली देहात को यह सूचना दी गयी कि, दिनांक 12.07.2016 की रात्रि 12.30 बजे जब वादी मुकदमा की बहिन शीतल की बारात चढ़ कर दरवाजे पर पहुंची उस समय प्रार्थी व उसका भाई शिवम दरवाजे की रस्म अदा होने की तैयारी कर रहे थे, तभी पड़ोसी सुरेन्द्र शर्मा ने मां–बहिन की गाली गलौज करते हुये दरवाजे की रस्म अदा करने में बाधा की। परिवारवालों से मना करने लगे कहा कि, गली

में प्रोग्राम नहीं होगा। सुरेन्द्र शर्मा से गाली गलौज करने से मना किया तो शादी का प्रोग्राम चल रहा था कि, सुरेन्द्र शर्मा अपने पुत्र पंकज शर्मा को साथ लेकर नाजायज तमंचे से लैस होकर व लाठी लेकर आ गये, आते ही धमकी देते हुये सुरेन्द्र शर्मा ने पंकज शर्मा से कहा कि, ''सालों को जिन्दा मत छोड़ना सालों को गोली मारकर कबूतर से उड़ा दे'', इतने में ही पंकज शर्मा ने अपने हाथ में लिये 315 बोर के तमंचे से प्रार्थी के भाई शिवम उर्फ लालू को जान से मारने के इरादे से गोली मारी जो पीठ पर लगी। गोली लगते ही भाई जमीन पर गिर गया। मौके पर पंकज शर्मा को महिलाओं ने पकड़ लिया लेकिन पंकज शर्मा तमंचा लहराते हुये महिलाओं से छूटकर काफी भीड़ होने के कारण, जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्त पंकज शर्मा के पिता सुरेन्द्र शर्मा को भी विचारण हेतु आहूत किये जाने का अनुरोध किया गया है। चूँकि अभियोजन कथानक के अनुसार सुरेन्द्र शर्मा द्वारा ही पंकज शर्मा को गोली चलाने हेतु उकसाया गया था, जबकि विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा पंकज शर्मा के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया किन्तु सुरेन्द्र शर्मा के विरूद्ध कोई मामला विवेचक ने नहीं पाया।

वादी मुकदमा विनीत कुमार को बतौर पी0डब्लू0–1 परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी अपनी मुख्यपृच्छा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये साक्ष्य प्रस्तुत किया गया परन्तु जिरह में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि, जब मेरे भाई के फायर लगा उस समय एक तरफ दावत चल रही थी। दावत बृजकिशोर के दरवाजे पर चल रही थी। दावत गली में नहीं थी, क्योंकि गली कम चौड़ी है। भाई गोली लगने पर घटनास्थल पर गिर गया था, उस समय मैं अपने मकान के चबूतरे पर था, चबूतरा दरवाजे के उत्तर तरफ है। मेरे दरवाजे से दक्षिण तरफ भाई के गोली गली में लगी थी। मैंने फायर की आवाज सुनी जो जोर से हुयी थी। आवाज से मैं समझ गया कि, गोली चली थी, मैं दौड़कर चबूतरे से भाई के पास आया जहां भाई गली में पड़ा था, हिलाडुला कर देखा, आवाज लगायी कैसे हो और उससे पूँछा था कि, गोली कैसे लगी परन्तु उसने जबाब नहीं दिया था। वहां पर 5–6 लोग घर के खड़े थे .....।

''कृष्णप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, ए0आई0आर0 2004, एस0सी0, 4298'' व ''माइकल मचाड़ो तथा अन्य बनाम सी.बी.आई. तथा अन्य (2000) 3 एस.सी.सी. 262'' में यह निर्धारित किया गया है कि, धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जायेगा जो सतर्कतापूर्वक आपवादिक परिस्थितियों में ही न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये।

''कैलाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 2008, एस0सी0, 1564'' में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मात्र साक्षी द्वारा किसी व्यक्ति का नाम लिये जाने के आधार पर ही किसी व्यक्ति को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत तलब नहीं किया जा सकता।

साक्षी के उपरोक्त कथन से यह तथ्य स्पष्ट है कि, उसके द्वारा इस घटनाक्रम को नहीं देखा गया कि, सुरेन्द्र शर्मा द्वारा अभियुक्त पंकज शर्मा से गोली मारने की बात कही गयी थी। चूँकि, जिरह में उसके द्वारा

यह स्वीकार किया गया है कि, घटनाक्रम के सम्बन्ध में उसने अपने घायल भाई शिवम उर्फ लालू से ही पूँछतांछ की थी और जब वादी मुकदमा द्वारा स्वंय घटना को नहीं देखा गया तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य धारा 319 दं0प्र0सं0 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को बतौर अभियुक्त विचारण हेतु तलब किये जाने के लिये पर्याप्त है। चूँकि, धारा 319 दं0प्र0सं0 के लिये साक्ष्य इस स्तर का होना चाहिये कि, यह युक्ति युक्त रूप से इंगित हो कि, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में दोषसिद्ध किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य (दौरान विचारण) के परिशीलन से यह तथ्य दर्शित नहीं होता, और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 14अ अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 के आधार पर सुरेन्द्र शर्मा को भी विचारण हेतु आहूत किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थनापत्र 14अ निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>—:आदेशः—</u>

प्रार्थनापत्र 14अ निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 06.04.2018 को साक्ष्य हेतु तलब हो। अभियोजन साक्षी रवेन्द्र व मुनेश कुमार जरिये सम्मन तलब हों।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—7, एटा।